न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 48/2016 RCMS No.—2016/00054

सुल्तान पुत्र अर्जुन लाल जाति खारवाल निवासी खारवालो की ढाणी, ग्राम गुवारडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. प्रभारी अधिकारी ग्राम पंचायत समिति जमवारामगढ कार्यालय जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. रामसहाय पुत्र ग्यारसा जाति खारवाल निवास खारवालो की ढाणी, ग्राम गुवारडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

...गैर निगरानीकार

पंचायत निगरानी विरूद्व दिनांक 31.01.1976 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सियाराम शर्मा एवं श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री प्रेम प्रकाश चौधरी एवं श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 3की ओर से।

निर्णय दिनांकः 05.11.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 31.01.1976 जिसके द्वारा को रामसहाय पुत्र ग्यारसा जाति खारवाल, निवासी खारवालो की ढाणी, ग्राम गुवारडी, तहसील जमवारामगढ के हक में भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.06.2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षी जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या एक की ओर से प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ ने अपनी उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करायी। गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत सायपुरा ने उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। गैर निगरानीकार संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा उपस्थित आये। ग्राम पंचायत सायपुरा द्वारा निगरानीधीन पट्टा पत्रावली अप्राप्त है एवं प्रश्नगत पट्टा पत्रावली माननीय सिविल न्यायालय में है। वकील पक्षकारान की सहमति पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील पक्षकारान द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन कर पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा पेश निगरानी एवं लिखित बहस अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा गैर निगरानीकार 3 के हक में आदेश दिनांक 31.01.1976 द्वारा आवसीय भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा विधि विरूद्व व

आवंटन नियमों के बगैर जारी किया गया है। उक्त निगरानीधीन पट्टा विलेख अनुसूचित जाति/जनजाति/ कारीगरो एवं लघुसीमांत कृषको को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड को प्रपत्र 31.01.1976 को आवंटन अधिकारी जारी किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज है। उक्त पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 3 को सशर्त जारी किया गया था। जिसमें शर्त अनुसार आवंटन से दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपडा इत्यादि बनवाना अनिवार्य होगा। जिसकी पालना में आदिनांक तक गैर निगरानीकार संख्या 3 ने किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया एवं गैर निगरानीकार संख्या 3 का कब्जा भी विवादित भूमि पर नहीं है। तथाकथित पट्टा कौनसी आबादी भूमि में एवं किस खसरे की भूमि में जारी किया गया है का उल्लेख उक्त पट्टे में नहीं है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा निगरानीकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 154 रकबा 0.04 हैक्टेयर व 345 रकबा 0.01 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर में उक्त विवादित पट्टे के आधार पर हस्ताक्षेप कर कब्जा करने को आतुर है जबकि विवादित पट्टे के साथ संलग्न नक्शे की सीमाओ अनुसार उक्त पट्टा निगरानीकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि के पास चस्पा नहीं होता है। निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूखण्ड पर गैर निगरानीकार संख्या 3 का कभी कब्जा चला नहीं आ रहा है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। निगरानीधीन पट्टे के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद उनवानी रामसहाय बनाम सुल्तान प्रस्तुत किया गया। निगरानीधीन पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत सायपुरा एवं पंचायत समिति जमवारामगढ में उपलब्ध नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 के हक में आवासीय भूखण्ड विलेख दिनांक 27.01.1976 आवंटन अधिकारी हस्ताक्षर के हस्ताक्षर दिनांक 31.01.1976 द्वारा जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा पेश की गयी लिखित बहस अनुसार निगरानी मियाद बाहर है एवं निगरानीकर्ता द्वारा पेश किए तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 के पट्टा जारी होने के समय से दो कच्चे कमरे व एक पाटोल डालकर अपने परिवार के साथ मय मवेशी निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 निर्धन व्यक्ति होने से विवादित भूमि पर निर्माण नहीं कर सका। निगरानीकर्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 की पट्टेशुदा भूमि को स्वयं की बताकर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के दावा भी पेश कर चुका है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 को पट्टा आवंटन के समय किसी प्रकार की अन्य भूमि नहीं थी। निगरानीधीन पट्टा नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी कर विधिवत जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 3 द्वारा 2013 में निर्माण कार्य चालू करवाने पर निगरानीकर्ता द्वारा कार्य रूकवा दिया गया। उक्त पट्टा पंचायत एक्ट 1953 की धारा 71 एवं 87 के तहत पट्टा जारी

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

किया गया है। निगरानी बेबुनियाद व असत्य कथनो के आधार पर पेश की गयी है। निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील पक्षकारान द्वारा पेश की गयी लिखित बहस आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। निगरानीधीन पट्टा आवंटन पत्रावली अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। विपक्षी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर दलील है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी विलम्ब से पेश की गई, जो मियाद बाहर होने से खारिज की जावे, किन्तु मियाद के बिन्दु के आधार पर निगरानी खारिज करना न्यायहित में उचित नहीं है क्योंकि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 या राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निगरानी के सम्बन्ध में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निर्धारित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि गैर निगरानीकार का किसी प्रकार का कब्जा/निर्माण आदिनांक तक विवादित भूखण्ड पर नहीं है जबकि पट्टा आवंटन की शर्त संख्या 8 के मुताबिक दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपडा इत्यादि बनवाना अनिवार्य था जबकि वकील गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 का किसी प्रकार का कब्जा विवादित भूमि पर है एवं विवादित भूमि पर निर्माण किया हुआ है। वकील गैर निगरानीकार द्वारा भी अपनी लिखित बहस में विवादित भूखण्ड में पक्का मकान नहीं बना होकर कच्चे कमरे एवं पाटोल डालकर निवास करना उल्लेखित किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 3 रामसहाय पुत्र ग्यारसा जाति खारवाल निवासी खारवालो की ढाणी, ग्राम गुवारडी, तहसील जमवारामगढ के हक में आदेश दिनांक 31.01.1976 द्वारा जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जाता है। साथ ही पत्रावली ग्राम पंचायत सायपुरा, पंचायत समिति जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर मौके का निरीक्षण ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत के वार्ड पंचगण तथा संबंधित हल्का पटवारी से कराया जाकर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व नियमों के अर्न्तगत विधिसम्मत निर्णय लेवे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सायपुरा को मुताबिक निर्णय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)

अतिरिक्त कलक्टर